न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम अम्बेडकर नगर।

उपस्थितः—राम विलास सिंह, 'उच्चतर न्यायिक सेवा'

UPAN010007532024

Sessions Case/68/2024

सरकार ....अभियोजन

बनाम

1. सूर्यभान उर्फ डब्लू आयु लगभग—22 वर्ष पुत्र रामउजागिर निवासी दारापुर किशुनीपुर, थाना—गोशाईगंज,जनपद अयोध्या।

2. रोहित गुप्ता उर्फ राजन डीजे आयु लगभग—45 वर्ष पुत्र रामनाथ गुप्ता निवासी तेलियागढ़, थाना गोशाईगंज, जनपद अयोध्या।

मुकदमा अपराध संख्याः—278/2023
धारा—379,411,413 भा0दं0सं0
थाना—अहिरौली
जिला—अम्बेडकर नगर।

निर्णय

1. अभियुक्तगण **सूर्यभान उर्फ डब्लू व रोहित गुप्ता उर्फ राजन डीजे** का विचारण उपरोक्त सत्र परीक्षण वाद में पुलिस थाना—अहिरौली जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा प्रस्तुत आरोप पत्र मु0अ0सं0—278/2023 अंतर्गत धारा—379,411,413 भा.द.सं. के आधार पर किया गया।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार हैं कि वादी दुर्गेश वर्मा पुत्र श्री पतिराज वर्मा निवासी ग्राम अन्नावॉ पोस्ट पियारेपुर, थाना—अहिरौली, जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा थानाध्यक्ष अहिराली को इस आशय की लिखित तहरीर दी गयी कि प्रार्थी दुर्गेश वर्मा पुत्र श्री पतिराज वर्मा निवासी ग्राम अन्नावॉ पोस्ट पियारेपुर, थाना—अहिरौली, जनपद अम्बेडकरनगर का निवासी है। प्रार्थी की मोटर साइकिल नं. यू.पी.45पी 7571 हीरो स्पेलेण्डर प्लस अपने दरवाजे के पास खड़ी किया था। दिनांक 25.11.2023 को समय लगभग 8.30 बजे शाम को मेरी गाड़ी कोई लेकर चला गया। जब मैं घर से बाहर निकला तो गाड़ी दरवाजे पर नहीं थी। आस पड़ोस में पूछतॉछ किया और काफी तलाश किया किन्तु नहीं मिली। मुझे शंका है कि मेरी गाड़ी चोरी हो गयी है। सूचना पाया हूँ। आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

Digitally signed by RAM BILAS SINGH
Date: 2026.06.30 13:01:57 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

4. उपर्युक्त तहरीर के आधार पर थाना अहिरौली पर मु0अ0सं0 278/2023, धारा–379 भा0दं0सं0 के तहत अज्ञात अभियुक्त के विरूद्ध पंजीकृत किया गया, जिसकी प्रविष्टि संख्या–047 दिनांक 28.11.2023 को समय 20.20 बजे किता की गई। दौरान विवेचना, विवेचक ने गवाहान के बयान लिये, घटना–स्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी बनाया, फर्द बरामदगी व गिरफतारी तथा विवेचना के उपरांत अभियुक्तगण **सूर्यभान उर्फ डब्लू व रोहित गुप्ता उर्फ राजन डीजे** के विरूद्ध आरोप–पत्र सं0–ए–248/2023 मु0अ0सं0 278/2023 अन्तर्गत धारा–379,411,413 भा0दं0सं0 विचारण हेतु प्रेषित किया गया जिस पर न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,अम्बेडकरनगर द्वारा दिनांक 20.01.2024 को प्रसंज्ञान लिया गया।

5. न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,अम्बेडकरनगर द्वारा दिनांक–25.01.2024 को पत्रावली सत्र सुपुर्द की गयी।

6. अभियुक्तगण सत्र न्यायालय उपस्थित आये। अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध दिनांक 07.06.2024 को तत्कालीन अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–1, अम्बेडकरनगर द्वारा धारा–379,411,413 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत आरोप सृजित किया गया। आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया गया, जिससे अभियुक्तगण ने इन्कार किया तथा विचारण की मांग की। तत्पश्चात अभियोजन पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

7. अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध को सिद्ध करने हेतु, मौखिक साक्ष्य में निम्नलिखित साक्षीगण को परीक्षण कराया गया हैः–

क्रम सं0	साक्षी संख्या	साक्षी का नाम	साक्षी का प्रकार
1	पी0डब्लू0 1	दुर्गेश वर्मा	वादी मुकदमा
2	पी0डब्लू0 2	रामसुमेर यादव उपनिरीक्षक	सामग्री साक्षी
3	पी0डब्लू0 3	राहुल उपाध्याय हे0कां0	प्राथमिकी साक्षी
4	पी0डब्लू0 4	प्रमोद कुमार खरवार उपनिरीक्षक	पुलिस साक्षी

8. अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेखीय साक्ष्य में निम्नलिखित प्रपत्रों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

अभियोजन प्रपत्र	प्रदर्श	सिद्ध करने वाला साक्षी
तहरीर	प्रदर्श क–1	पी.डब्लू. 1
आरोप पत्र	प्रदर्श क–2	पी.डब्लू. 2
नक्शा नजरी घटनास्थल	प्रदर्श क–3	पी.डब्लू. 2
नक्शा नजरी बरामदगी स्थल	प्रदर्श क–4	पी.डब्लू. 2
फर्द बरामदगी	प्रदर्श क–5	पी.डब्लू. 2
चिक एफ.आई.आर	प्रदर्श क–6	पी.डब्लू. 3
कायमी जी.डी.	प्रदर्श क–7	पी.डब्लू.3
फर्द बरामदगी	प्रदर्श क–5	पी.डब्लू.4

9. अभियुक्तगण का बयान अंतर्गत धारा–313 द.प्र.सं. अंकित किया गया जिसमें अभियुक्तगण ने घटना कारित करने से इंकार किया तथा अभियुक्त सूर्यभान द्वारा यह कथन किया है कि प्रार्थी मजदूरी करने वाला बेहद गरीब व्यक्ति है। प्रार्थी द्वारा कभी भी कोई ऐसा कृत्य नहीं किया गया जिससे कि समाज एवं जनमानस पर कोई बुरा असर पड़ा हो। अभियुक्त रोहित गुप्ता द्वारा यह कथन किया गया कि मैं निर्दोष हूँ। दुश्मनो के इशारे पर घर से पकड़ कर लाये, थाने में तीन दिन तक बैठाये रहे। फर्जी एवं मनगढ़ंत तथ्यों के आधार पर झूठी फर्द तै।यार करके फर्जी तरह से बरामदगी दिखाते हुए भिन्न–भिन्न मुकदमें में फंसा दिये।

10. बचाव पक्ष को सफाई साक्ष्य का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया इसके बावजूद भी उनकी तरफ से कोई सफाई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। दिनांक 16.06.2026 को आदेश पत्रक पर कोई सफाई साक्ष्य न देने का अंकन किया गया।

11. मैंने प्रस्तुत मामले में राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) तथा अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को विस्तार से सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य का सम्यक्रूपेण अवलोकन किया।

12. दण्ड न्याय शास्त्र का यह विधिक सिद्धांत है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोप को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किये जाने पर ही अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किया जा सकता है अन्यथा नहीं।

13. अभियोजन द्वारा यह तर्क दिया गया कि अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा की मोटर साइकिल यू.पी.45पी 7571 को चोरी किया, उक्त चोरी की मोटर साइकिल 30.11.2023 को अभियुक्तगण के कब्जे से बरामद हुआ तथा चुराई गयी सम्पत्ति को चुराई हुई जानते हुए उसका अभ्यासतः व्यापार किया। अभियोजन द्वारा परीक्षित कराये गये साक्षियों के साक्ष्य से एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रो से घटना की पुष्टि होती है और अभियुक्तगण दोषसिद्ध किए जाने योग्य है।

14. उपरोक्त तर्क का विरोध करते हुए अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण निर्दोष हैं और अभियोजन, अभियोग कथानक को संदेह से परे साबित कर पाने में असफल रहा है। अभियोग मिथ्या है। तथ्य के साक्षियों द्वारा अभियोग कथानक का समर्थन नहीं किया गया है। फर्जी बरामदगी दिखायी गयी है। प्रस्तुत साक्षीगण के साक्ष्य में विरोधाभास है। अभियोजन, अभियुक्तगण के विरूद्ध विरचित आरोप को संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा है। साक्षीगण का साक्ष्य विश्वसनीय नहीं हैं। अतः अभियुक्तगण दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

15. हस्तगत प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध इस आशय का आरोप विरचित किया गया है कि, दिनांकः 25.11.2023 को वादी मुकदमा की मोटर साइकिल यू.पी.45पी 7571 को चोरी किया, उक्त चोरी की मोटर साइकिल 30.11. 2023 को अभियुक्तगण के कब्जे से बरामद हुआ तथा चुराई गयी सम्पत्ति को चुराई हुई जानते हुए उसका अभ्यासतः व्यापार किया।

<u>अभियोजन साक्ष्य</u>

16. अभियोजन की ओर से साक्षी **पी.डब्लू. 1 दुर्गेश वर्मा** को परीक्षित कराया गया, जिन्होंने न्यायालय के समक्ष सशपथ मुख्य बयान दिया कि, ''घटना दिनांक 25.11. 2023 की रात करीब 08:30 बजे की है। मैं मुर्गीपालन का काम करता हूँ। घटना की रात में अपनी मोटर साइकिल यू०पी० 45 पी० 7571 (हीरो होण्डा) अपनी मुर्गीफार्म के बाहर खड़ा किया था। रात में मेरी मोटर साइकिल उपरोक्त मुकदमें के मुल्जिमान रोहित गुप्ता व सूर्यभान द्वारा चोरी कर ली गयी। मैंने काफी तलाश किया किन्तु नहीं मिली तब मैं थाने पर जाकर अपनी उक्त मोटर साइकिल के चोरी होने के बारे में तहरीर देकर मुकदमा लिखाया। शामिल पत्रावली तहरीर पर मेरे हस्ताक्षर है जिसे मैं तस्दीक करता हूँ जिस पर प्रदर्श क 1 डाला गया। उपरोक्त मुकदमें के विवेचक ने मेरा बयान लिया था मैंने उन्हें घटना स्थल भी दिखाया था। पुलिस

वालों ने मेरी मोटर साइकिल उपरोक्त मुकदमें के अभियुक्तगण रोहित गुप्ता व सूर्यभान के कब्जे से बरामद किया था। मेरी मोटर साइकिल अभी थाने पर ही खड़ी है। मुझे यह भी जानकारी हुई थी कि उक्त मुल्जिमान रोहित गुप्ता व सूर्यभान पेशेवर चोर है जो लोगों की मोटर साइकिल चोरी करके उसे बेचते है।''

17. अभियोजन की ओर से साक्षी **पी.डब्लू. 2 रामसुमेर यादव उपनिरीक्षक** को परीक्षित कराया गया, जिन्होंने न्यायालय के समक्ष सशपथ मुख्य बयान दिया कि, '' मैं दिनाक 22.09.2023 को थाना अहिरौली, जनपद अम्बेडकरनगर में बतौर उपनिरीक्षक कार्यरत था। थाना स्थानीय में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 278/2023 अन्तर्गत धारा 379 भा०दं०सं० बनाम अज्ञात तथा मुकदमा अपराध संख्या 202/2023 अन्तर्गत धार 457,380 भा०द०सं० बनाम अज्ञात की विवेचना थाना प्रभारी के आदेश पर मुझे प्राप्त हुई, मैं दोनों मुकदमों की विवेचना में मशरूफ हुआ। दिनांक 29.11.2023 को मुकदमा अपराध संख्या 278/2023 अन्तर्गत धारा 379 भा०द०सं० की विवेचना का पर्चा नं० 1 किता किया जिसमे नकल चिक, नकल रपट का अवलोकन करते हुए संलग्न सी०डी० किया तथा थाने पर कार्यरत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक हे० का० राहुल उपाध्याय का बयान अंकित किया। तत्पश्चात् थाने से प्रस्थान कर वादी मुकदमा के घर ग्राम अन्नावा आया। बादी दुर्गेश वर्मा के मिलने पर उसका बयान अंकित किया और उसकी निशादेही पर घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा–नजरी अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया जो शामिल पत्रावली मेरे समक्ष है तथा माल व मुल्जिम के सम्बन्ध में पतारसी व सुरागरसी कर्ता हुआ थाने पर वापस आया। दिनांक 30.11.2023 को पर्चा न० 2 किता किया थाने की नकल रपट संख्या 3 समय 01:05 पर मैं अपने हमराहीयान उपनिरीक्षक प्रमोद कुमार खरवार, हेड० का० लालजी पाल, का० दीपक सिंह के थाना से रवाना होकर रात्रि गस्त रोकथाम जुर्म जरायाम करते हुए यादव नगर तिराहा के पास थे, हम पुलिस वाले आपस में चोरी की घटना व चोरों के सम्बन्ध में बातचीत कर रहे थे कि मुखबिर खास आकर सूचना किया कि साहब दो व्यक्ति अज्ञात मोटर साइकिल नं० UP45P 7571 हीरो होण्डा प्लस से है, जिनके पास चोरी करने वाल उपकरण पिलास, रिच, सलाई रिच तथा सीसा काटने का औजार तथा लोहे को छोटा सा सब्बल आदि लिये है, लगता है कि कही चोरी करने की योजना हेतु फिराक में है, जो बसोहरी पुल के उस पार है, यदि जल्दी किया जाये तो पकडे जा सकते है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास करके हम पुलिस वाले आपस में एक–दूसरे की

जामातलाशी ले देकर इत्मिनान हुए की हम लोगो के पास कोई नाजायज वस्तु नहीं है, मुखबिर को लेकर बसोहरी पुल के पास पहुंचे। मोटर साइकिल की रोशनी में दो व्यक्ति पुल के उस पार खड़े दिखायी दिये। मुखबिर इशारा करके चला गया। हम पुलिस वाले अपनी मोटर साइकिल की रफ्तार तेज कर उन व्यक्तियों के पास पहुंचे। हम पुलिस वालों को देखकर मुल्जिमान भागने लगे जिनको दस–पन्द्रह कदम की दूरी पर घेर कर पकड़ दिया गया। नियमानुसार नाम व पता पूछने व जामातलाशी लेने पर एक ने अपना नाम रोहित गुप्ता उर्फ राजन डी० जे० पुत्र रामनाथ गुप्ता निवासी तेलियागढ़, थाना–गोसाईगंज, जनपद अयोध्या बताया। जामातलाशी के दौरान उसके दाहिने जेब से रूपये बरामद हुए और पैंट के फेट से उपकरण बरामद हुए। दूसरे ने अपना नाम सूर्यभान उर्फ डब्लू पुत्र राम उजागिर निवासी दारापुर किशुनीपुर थाना गोसाईगंज, जनपद अयोध्या बताया, जामातलाशी के दौरान उसके पास से भी रूपया बरामद हुआ व अन्य उपकरण भी बरामद हुए। मोटर साइकिल के सम्बन्ध में कोई कागजात नहीं बता सकता। दोनों व्यक्तियों से बरामद उपकरण मोटर साइकिल व रूपये के बारे में कड़ाई से पूछने पर बताया की हम लोग स्कूल, भीड–भाड़ वाले क्षेत्र, शादी इत्यादि में पहुंचकर चोरी कर लेते है और चोरी से प्राप्त समानों को राह चलते किसी को बेच देते है उससे जो रूपया मिलता है उसे मौज मस्ती में खर्च कर देते है और अपना घर चलाते है, मोटरसाइकिल के बारे में पूछने पर बताया तो यह मोटरसाइकिल अन्नावा से चोरी किया था मैंने विवेचना किट से प्रथम सूचना रिपोर्ट से मिलान किया तो बरामद मोटर साइकिल मुकदमा अपराध संख्या 278/2023 से सम्बन्धित है। बरामद पैसे के बारे में पूछने पर बताया की चोरी के सामान बेचने से प्राप्त रूपये है, कड़ाई से पूछने पर अन्य मोटर साइकिल को चोरी करके घर पर रखने की बात बतायी जिसका रजिस्ट्रेशन नं० UP 45 Z 9195 था। स्कूल रोहनापारा से सामान तथा जैतपुर निधियवां से शादी पार्टी से मोटर साइकिल व अन्य जगह चोरी करने की बात बतायी, जिसे विवेचना किट से पता करने पर मुकदमा अपराध संख्या 196/2023 तथा 277/2023 से सम्बन्धित होना पाया गया। उक्त दोनों मुकदमें के विवेचक थाने पर कार्यरत उपनिरीक्षक प्रमोद कुमार खरवार थे। दोनों अभियुक्तगणों को हिरासत में लेकर उसके बताये गये स्थान पर तेलियागढ़, थाना – गोसाईगंज, जनपद अयोध्या पहुंचा। अभियुक्त रोहित गुप्ता अपने घर के अंदर से चोरी की मोटर साइकिल UP 45 Z 9195 बरामद करायी, अभियुक्तगण को आधार गिरफ्तारी बताते हुए नियमानुसार उसे गिरफ्तार किया गया,

फर्द बरामदगी व गिरफ्तारी मेमो नियमानुसार तैयार की गयी। बरामद रूपये की चिट बंदी की गयी। फर्द बरामदगी उपनिरीक्षक प्रमोद कुमार खरवार द्वारा लिखी गयी थी, वापस आकर सबका दाखिला किया गया। तथा अभियुक्तगण का बयान नियमानुसार अंकित किया। अभियुक्तगण को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर उनके रिमाण्ड की याचना किया, दिनांक 12.12.2023 को पर्चा नं० 3 किता किया जिसमें फर्द के गवाह उपनिरीक्षक प्रमोद कुमार खरवार, हे० का० लालजी पाल व का० दीपक सिंह का बयान अंकित किया। पूरक पर्चा 1 में फर्द बरामदगी घटना स्थल का नक्शा–नजरी तैयार किया गया था। तमामी विवेचना के आधार पर मैंने उपरोक्त मुकदमें के अभियुक्तगण रोहित गुप्ता उर्फ राजन डी० जे० व सूर्यभान उर्फ डब्लू के विरूद्ध धारा 379,411,413 भा०दं०सं० में आरोप पत्र संख्या 278/2023 तैयार किया, जो शामिल पत्रावली मेरे समक्ष है जिसे मैं तस्दीक करता हूँ जिस पर प्रदर्श क 2 डाला गया। नक्शा–नजरी पर प्रदर्श क 3 व प्रदर्श क 4 डाला तथा फर्द बरामदगी में प्रदर्श क 5 डाला गया।''

18. अभियोजन की ओर से साक्षी **पी.डब्लू. 3 राहुल उपाध्याय हे0 कां0** को परीक्षित कराया गया, जिन्होंने न्यायालय के समक्ष सशपथ मुख्य बयान दिया कि, ''मैं दिनांक 28.11.2023 को थाना अहिरौली, जनपद अम्बेडकरनगर (उत्तर प्रदेश) में हे०मु० के पद पर कार्यरत था। उस दिन वादी मुकदमा दुर्गेश वर्मा के लिखित तहरीर व थाना प्रभारी के मौखिक आदेश पर मैंने उपरोक्त मुकदमें की चिक मुकदमा अपराध संख्या 278/2023 अन्तर्गत धारा 379 भा०दं०स० बनाम अज्ञात समय 20:20 बजे कम्प्यूटर पर बोल–बोल कर सी०सी०टी०एन०एस० से दर्ज काराया गया था, जिसकी कायमी थाने की नकल रपट संख्या 47 समय 20:20 बजे दिनांक 28.11.2023 को दर्ज की गयी है, जो शामिल पत्रावली मेरे समक्ष है, जिसे मैं तस्दीक करता हूँ चिक पर प्रदर्श क 6 व कायमी पर प्रदर्श क 7 डाला गया। उपरोक्त मुकदमें के विवेचक ने मेरा बयान लिया था। ''

19. अभियोजन की ओर से साक्षी **पी.डब्लू. 4 प्रमोद कुमार खरवार उपनिरीक्षक** को परीक्षित कराया गया, जिन्होंने न्यायालय के समक्ष सशपथ मुख्य बयान दिया कि, '' मैं दिनांक 30.11.2023 को थाना अहिरौली जनपद अम्बेडकरनगर में उपनिरीक्षक के पद पर कार्यरत था उस दिन मैं अपने हमराहियों के साथ थाने की नकल रपट संख्या 03 समय 01:05 बजे थाने से रवाना होकर रात्रि गस्त रोकथान जुर्म जरायम करते हुए यादव नगर तिराहे के पास पहुंच कर आपस में

बात–चीत कर रहे थे तभी जरिये मुखबिर सूचना मिली कि दो व्यक्ति अज्ञात एक मोटर साइकिल UP45 P 7571 Hero Honda Plus से बसोहरी पुल के उस पार दाहिने तरफ किनारे रूके है, तथा उनके पास चोरी करने का उपकरण प्लास रिच, सलाई रिच व लोहे का सब्बल आदि रखे है, ऐसा लग रहा है कि कही चोरी करने की फिराक में है, मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर हम पुलिस वालें आपस में एक दूसरे की जामा तलाशी लेकर इतमिनाम हो गये कि हम लोगों के पास कोई अवैध वस्तु नहीं है, मुखबिर को साथ लेकर अपने–अपने मोटर साइकिल से उसके बताये हुए रास्ते पर चलकर जैसे ही हम लोग बसोहरी पुल के पास पहुंचे तो मोटर साइकिल की रोशनी में पुल के उस पास खड़े दिखायी दिये, मुखबिर द्वारा बताया गया कि यह वहीं व्यक्ति है जो चोरी करने की योजना बना रहा है, हम पुलिस वाले अपनी मोटर साइकिल की रफ्तार तेज कर अचानक उस व्यक्ति के पास पहुंचे तो एक ने कहा कि पुलिस आ गयी भागों कि एक बार दबिशो देकर धेर मारकर बसोहरी पुल से मिझौडा मिल रोड़ पर 10–20 कदम की दूरी पर पकड लिया गया। पकडे हुए व्यक्ति से नाम व पता पूछते हुए जामा तलाशी लिया गया तो एक ने अपने नाम रोहित गुप्ता उर्फ राजन डी० जे० पुत्र रामनाथ गुप्ता निवासी तेलियागढ़, थाना गोसाईगंज, जनपद अयोध्या बताया। जिसके पहले पैंट की फेट में एक अदद प्लास दाहिने जेब से 2150 रूपया बरामद हुआ, दूसरे ने अपना नाम सूर्यभान उर्फ डब्लू उम्र 20 साल पुत्र राम उजागिर निवासी दारापुर किशुनपुर, थाना गोसाईगंज, जनपद– अयोध्या बताया। जामा तलाशी के दौरान पहने हुए काली रंग के जाकेट के दाहिने जेब से सीसा काटने का औजार तथा एक अदद छोटा रिच बरामद हुआ, तथा दाहिने जेब से 1860 रूपया बरामद हुआ तथा मोटर साइकिल UP45 P 7571 की डिग्गी की तलाशी से एक अदद सलाई रिच 250 mm 10 नम्बर तथा 1 अदद सात अंगुल का सरिया जो छेनी की आकार का तथा करीब 1.5 फीट लोहे का सब्बल बरामद हुआ। गाड़ी का कागज व डी०एल० मागने पर दोनों व्यक्तियों ने कुछ नहीं बताया। कडाई से पूछताछ करने पर दोनों ने बताया कि हम लोग गांव में तथा स्कूल आबादी व भीड़–भाड क्षेत्र तथा शादी आदि में मोटर साइकिल व अन्य सामान चोरी कर लेते है तथा चलते फिरते राहगिरों व अंजान व्यक्ति कबाडी फेरी लगाने वाले के हाथ बेच देते है तथा उससे जो पैसा मिलता है, हम लोग आपस में बराबर–बराबर बांटकर ले लेते है तथा उसी पैसे से अपना जीवन यापन करते है व मौज मस्ती करते है। आप लोग हम लोगों को कुछ मत कीजिएगा, हम लोग

जहां–जहां चोरी किये है सब बता देंगे। बरामद मोटर साइकिल के बारे में पूछने पर बताया कि साहब यह मोटर साइकिल हम दोनों आदमी अन्नावा बाजार प्यारेपुर रोड़ मुर्गी फार्म के यहां से दिनांक 25.11.2023 को रात्रि के करीब 08:30 बजे हम दोनों आदमी चोरी किये थे, मौके पर मौजूद उपनिरीक्षक राम सुमेर यादव द्वारा विवेचना किट से मिलान करने पर उक्त मोटर साइकिल थाने की मुकदमा अपराध संख्या 278/2023 से सम्बन्धित पाया गया और चोरी के सम्बन्ध में अन्य बातें बतायी तथा रोहित गुप्ता से पूछने पर बताया कि दिनांक 15.11.2023 को ग्राम निभियहवा जैतपुर से एक मोटर साइकिल से रात में शादी पार्टी के दौरान चोरी किये थे जो मेरे घर पर है, जिसका नम्बर UP 45 Z 9195 है, यह गाड़ी स्पलेंडर प्लस है। तथा ग्राम रोहन पारा विद्यालय से ताला तोड़कर तराजू, बाट, पंखा, समर सेबल पन्प, गैस सेलेंडर गेहू व चावल भी चुराये थे, जिसे आपस में बाट लिये थे तथा अन्य सामान कबाड़ खरीदने वाले फेरी को दे दिये थे अन्य बातें भी बतायी। विवेचक किट से मिलान करने पर उक्त चोरी का समान थाने की मुकदमा अपराध संख्या 196/2023 से सम्बन्धित पाया गया। मुकदमा अपराध संख्या 277/2023 से सम्बन्धित वाहन की बरामदगी हेतु अभियुक्त रोहित गुप्ता व हमराही लालजी पाल को साथ लेकर रोहित गुप्ता के घर गया और रोहित गुप्ता द्वारा चोरी की मोटर साइकिल UP 45 Z 9195 बरामद करायी गयी। रात अधिक होने के कारण जनता का कोई गवाह नहीं मिल सकता। अभियुक्तगणों को आधार गिरफ्तारी बताते हुए नियमानुसार उन्हें समय 02:45 बजे मेरे द्वारा मौके पर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी मेमों व फर्द बरामदगी मेरे द्वारा मौके पर टार्च व मोटर साइकिल की रोशनी में तैयार की गयी, फर्द पर हम पुलिस कर्मीयों के साथ–साथ अभियुक्त ने भी अपने हस्ताक्षर बनाये, फर्द की एक प्रति रोहित गुप्ता को दी गयी। शामित पत्रावली फर्द बरामदगी पर साक्षी ने अपने लेख व हस्ताक्षर की पहचान किया जिस पर प्रदर्श क 5 पूर्व में डाला गया है, विवेचक ने मेरा बयान लिया था।''

20. अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रेषित आरोप–पत्र के आधार पर उनका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया गया। अब न्यायालय को यह देखना है कि, क्या अभियुक्तगण पर जिन आपराधिक धाराओं में आरोप–पत्र प्रेषित किया गया है और जिसके संबंध में अभियोजन द्वारा न्यायालय के समक्ष अपना साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है उससे अभियुक्तगण पर अपराध बिना संदेह के पूरी तौर पर साबित होता है अथवा नहीं? अभियोजन की ओर से अपने कथानक को साबित करने हेतु साक्षी **पी.डब्लू.1 के रूप**

में दुर्गेश वर्मा को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि– ''घटना दिनांक 25.11.2023 की रात करीब 08:30 बजे की है। मैं मुर्गीपालन का काम करता हूँ। घटना की रात में अपनी मोटर साइकिल यू०पी० 45 पी० 7571 (हीरो होण्डा) अपनी मुर्गीफार्म के बाहर खडा किया था। रात में मेरी मोटर साइकिल उपरोक्त मुकदमें के मुल्जिमान रोहित गुप्ता व सूर्यभान द्वारा चोरी कर ली गयी। मैंने काफी तलाश किया किन्तु नहीं मिली तब मैं थाने पर जाकर अपनी उक्त मोटर साइकिल के चोरी होने के बारे में तहरीर देकर मुकदमा लिखाया। शामिल पत्रावली तहरीर पर मेरे हस्ताक्षर है जिसे मैं तस्दीक करता हूँ जिस पर प्रदर्श क 1 डाला गया। उपरोक्त मुकदमें के विवेचक ने मेरा बयान लिया था मैंने उन्हें घटना स्थल भी दिखाया था। पुलिस वालों ने मेरी मोटर साइकिल उपरोक्त मुकदमें के अभियुक्तगण रोहित गुप्ता व सूर्यभान के कब्जे से बरामद किया था। मेरी मोटर साइकिल अभी थाने पर ही खडी है। मुझे यह भी जानकारी हुई थी कि उक्त मुल्जिमान रोहित गुप्ता व सूर्यभान पेशेवर चोर है जो लोगों की मोटर साइकिल चोरी करके उसे बेचते है।'' इसप्रकार इस साक्षी के बयान के अवलोकन से विदित होता है कि इस साक्षी द्वारा अपने तहरीर में अज्ञात चोरो द्वारा उसकी मोटर साइकिल चोरी करना कहा गया है जबकि अपने मुख्य परीक्षा में यह कथन किया गया है कि रात में मेरी मोटर साइकिल उपरोक्त मुकदमें के मुल्जिमान रोहित गुप्ता व सूर्यभान द्वारा चोरी कर ली गयी। इसप्रकार इस साक्षी के तहरीर व मुख्य परीक्षा में परस्पर घोर विरोधाभाष है।

बचाव पक्ष की ओर से जिरह किये जाने पर साक्षी द्वारा यह कथन किया गया है कि–''मेरी मोटर साइकिल दिनांक 25.11.2023 की रात में चोरी हुई थी। मैं अपनी मोटर साइकिल अपनी मुर्गीफार्म के बाहर खडा किया था। मैंने मोटर साइकिल चोरी होने की रिपोर्ट घटना के अगले दिन लिखवाई थी। मैंने तहरीर स्वयं नहीं लिखा था किसी व्यक्ति से लिखवाकर उस पर अपना हस्ताक्षर बनाकर थाने पर दिया था जब मैं थाने में गया था तो वहा पर मेरी मुलाकात थानाध्यक्ष से हुई थी। मैंने थानाध्यक्ष को प्रार्थना–पत्र दिया था। **मैं रोहित गुप्ता व सूर्यभान को पहले से नहीं जानता था। दरोगा जी रोहित गुप्ता व सूर्यभान की कोई पहचान मुझसे नहीं करवाये थे।........मोटर साइकिल चोरी होने के बाद पुलिस ने क्या–क्या कार्यवाही किया मुझे नहीं मालूम। केवल पुलिस ने मुझे सूचना दिया था कि आपकी मोटर साइकिल थाने में है।** आज तक मैंने अपनी मोटर साइकिल छुडाया नहीं है। **हाजिर**

<u>अदालत मुल्जिमानों रोहित गुप्ता व सूर्यभान को मैं जानता पहचानता नहीं हूँ और आज के पहले कभी देखा नहीं है। मेरी मोटर साइकिल पुलिस ने कब और कहॉ से बरामद किया था मुझे नहीं मालूम। बसोहरी घाट कहॉ पड़ता है मैं नहीं जानता हूँ। मुझे नहीं मालूम कि पुलिस ने मेरी मोटर साइकिल कहॉ बरामद की थी।</u> ''इसप्रकार स्वंय वादी मुकदमा द्वारा अपने बयान में यह स्पष्ट रूप से कथन किया गया है कि वह अभियुक्तगण को नहीं जानता पहचानता है। यह भी कथन किया गया है कि दरोगा जी रोहित गुप्ता व सूर्यभान की कोई पहचान मुझसे नहीं करवाये थे।. मोटर साइकिल चोरी होने के बाद पुलिस ने क्या–क्या कार्यवाही किया उसे नहीं मालूम। केवल पुलिस ने उसे सूचना दिया था कि आपकी मोटर साइकिल थाने में है। उसकी मोटर साइकिल पुलिस ने कब और कहॉ से बरामद किया था उसे नहीं मालूम। बसोहरी घाट कहॉ पड़ता है वह नहीं जानता हूँ। उसे नहीं मालूम कि पुलिस ने उसकी मोटर साइकिल कहॉ बरामद की थी। इस साक्षी के साक्ष्य से यह स्पष्ट नहीं होता है कि अभियुक्तगण ने ही उसकी मोटर साइकिल चोरी की थी और उक्त मोटर साइकिल अभियुक्तगण के ही कब्जे से बरामद हुई थी। इस साक्षी के सम्पूर्ण साक्ष्य के अवलोकन से यह विदित होता है कि इस साक्षी ने अभियुक्तगण को चोरी करते हुए अपनी ऑखों से नहीं देखा है और न ही पुलिस ने इसके सामने अभियुक्तगण के उक्त मोटर साइकिल बरामद ही किया गया है।

अभियोजन की ओर से **साक्षी पी.डब्लू.2 के रूप में राम सुमेर यादव उपनिरीक्षक** को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षा में यह कथन किया गया है कि–''<u>मैं दिनाक 22.09.2023 को थाना अहिरौली, जनपद अम्बेडकरनगर में बतौर उपनिरीक्षक कार्यरत था। थाना स्थानीय में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 278/2023 अन्तर्गत धारा 379 भा०दं०सं० बनाम अज्ञात तथा मुकदमा अपराध संख्या 202/2023 अन्तर्गत धार 457,380 भा०द०सं० बनाम अज्ञात की विवेचना थाना प्रभारी के आदेश पर मुझे प्राप्त हुई, मैं दोनों मुकदमों की विवेचना में मशरूफ हुआ। दिनांक 29.11.2023 को</u> **<u>मुकदमा अपराध संख्या 278/2023 अन्तर्गत धारा 379 भा०द०सं० की विवेचना का पर्चा नं० 1 किता किया जिसमे नकल चिक, नकल रपट का अवलोकन करते हुए संलग्न सी०डी० किया तथा थाने पर कार्यरत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक हे० का० राहुल उपाध्याय का बयान अंकित किया।</u>** <u>तत्पश्चात् थाने से प्रस्थान कर वादी मुकदमा के घर ग्राम अन्नावा आया। बादी दुर्गेश वर्मा के मिलने पर उसका बयान अंकित किया और उसकी निशादेही</u>

पर घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा–नजरी अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया जो शामिल पत्रावली मेरे समक्ष है तथा माल व मुल्जिम के सम्बन्ध में पतारसी व सुरागरसी कर्ता हुआ थाने पर वापस आया। दिनांक 30.11.2023 को पर्चा न० 2 किता किया थाने की नकल रपट संख्या 3 समय 01:05 पर मैं अपने हमराहीयान उपनिरीक्षक प्रमोद कुमार खरवार, हेड० का० लालजी पाल, का० दीपक सिंह के थाना से रवाना होकर रात्रि गस्त रोकथाम जुर्म जरायाम करते हुए यादव नगर तिराहा के पास थे, हम पुलिस वाले आपस में चोरी की घटना व चोरों के सम्बन्ध में बातचीत कर रहे थे कि मुखबिर खास आकर सूचना किया कि साहब दो व्यक्ति अज्ञात मोटर साइकिल नं० UP45P 7571 हीरो होण्डा प्लस से है, जिनके पास चोरी करने वाल उपकरण पिलास, रिच, सलाई रिच तथा सीसा काटने का औजार तथा लोहे को छोटा सा सब्बल आदि लिये है, लगता है कि कही चोरी करने की योजना हेतु फिराक में है, जो बसोहरी पुल के उस पार है, यदि जल्दी किया जाये तो पकडे जा सकते है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास करके हम पुलिस वाले आपस में एक–दूसरे की जामातलाशी ले देकर इत्मिनान हुए की हम लोगो के पास कोई नाजायज वस्तु नहीं है, **मुखबिर को लेकर बसोहरी पुल के पास पहुंचे। मोटर साइकिल की रोशनी में दो व्यक्ति पुल के उस पार खड़े दिखायी दिये। मुखबिर इशारा करके चला गया। हम पुलिस वाले अपनी मोटर साइकिल की रफ्तार तेज कर उन व्यक्तियों के पास पहुंचे। हम पुलिस वालों को देखकर मुल्जिमान भागने लगे जिनको दस–पन्द्रह कदम की दूरी पर घेर कर पकड़ दिया गया। नियमानुसार नाम व पता पूछने व जामातलाशी लेने पर एक ने अपना नाम रोहित गुप्ता उर्फ राजन डी० जे० पुत्र रामनाथ गुप्ता निवासी तेलियागढ़, थाना–गोसाईगंज, जनपद अयोध्या बताया। जामातलाशी के दौरान उसके दाहिने जेब से रूपये बरामद हुए और पैंट के फेट से उपकरण बरामद हुए। दूसरे ने अपना नाम सूर्यभान उर्फ डब्लू पुत्र राम उजागिर निवासी दारापुर किशुनीपुर थाना गोसाईगंज, जनपद अयोध्या बताया, जामातलाशी के दौरान उसके पास से भी रूपया बरामद हुआ व अन्य उपकरण भी बरामद हुए। मोटर साइकिल के सम्बन्ध में कोई कागजात नहीं बता सकता।** दोनों व्यक्तियों से बरामद उपकरण मोटर साइकिल व रूपये के बारे में कड़ाई से पूछने पर बताया की हम लोग स्कूल, भीड–भाड वाले क्षेत्र, शादी इत्यादि में पहुंचकर चोरी कर लेते है और चोरी से प्राप्त समानों को राह चलते किसी को बेच देते है उससे जो रूपया मिलता है उसे मौज मस्ती में खर्च कर देते है और

अपना घर चलाते है, **मोटरसाइकिल के बारे में पूछने पर बताया तो यह मोटर साइकिल अन्नावा से चोरी किया था** मैंने विवेचना किट से प्रथम सूचना रिपोर्ट से मिलान किया तो बरामद मोटर साइकिल मुकदमा अपराध संख्या 278/2023 से सम्बन्धित है। बरामद पैसे के बारे में पूछने पर बताया की चोरी के सामान बेचने से प्राप्त रूपये है, कडाई से पूछने पर अन्य मोटर साइकिल को चोरी करके घर पर रखने की बात बतायी जिसका रजिस्ट्रेशन नं० UP 45 Z 9195 था। स्कूल रोहनापारा से सामान तथा जैतपुर निधियवां से शादी पार्टी से मोटर साइकिल व अन्य जगह चोरी करने की बात बतायी, जिसे विवेचना किट से पता करने पर मुकदमा अपराध संख्या 196/2023 तथा 277/2023 से सम्बन्धित होना पाया गया। उक्त दोनों मुकदमें के विवेचक थाने पर कार्यरत उपनिरीक्षक प्रमोद कुमार खरवार थे। दोनों अभियुक्तगणों को हिरासत में लेकर उसके बताये गये स्थान पर तेलियागढ, थाना – गोसाईगंज, जनपद अयोध्या पहुंचा। अभियुक्त रोहित गुप्ता अपने घर के अंदर से चोरी की मोटर साइकिल UP 45 Z 9195 बरामद करायी, अभियुक्तगण को आधार गिरफ्तारी बताते हुए नियमानुसार उसे गिरफ्तार किया गया, फर्द बरामदगी व गिरफ्तारी मेमो नियमानुसार तैयार की गयी। बरामद रूपये की चिट बंदी की गयी। फर्द बरामदगी उपनिरीक्षक प्रमोद कुमार खरवार द्वारा लिखी गयी थी, वापस आकर सबका दाखिला किया गया। तथा अभियुक्तगण का बयान नियमानुसार अंकित किया। अभियुक्तगण को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर उनके रिमाण्ड की याचना किया, दिनांक 12.12.2023 को पर्चा नं० 3 किता किया जिसमें फर्द के गवाह उपनिरीक्षक प्रमोद कुमार खरवार, हे० का० लालजी पाल व का० दीपक सिंह का बयान अंकित किया। पूरक पर्चा 1 में फर्द बरामदगी घटना स्थल का नक्शा–नजरी तैयार किया गया था। तमामी विवेचना के आधार पर मैंने उपरोक्त मुकदमें के अभियुक्तगण रोहित गुप्ता उर्फ राजन डी० जे० व सूर्यभान उर्फ डब्लू के विरूद्ध धारा 379,411,413 भा०दं०सं० में आरोप पत्र संख्या 278/2023 तैयार किया, जो शामिल पत्रावली मेरे समक्ष है जिसे मैं तस्दीक करता हूँ जिस पर प्रदर्श क 2 डाला गया। नक्शा–नजरी पर प्रदर्श क 3 व प्रदर्श क 4 डाला तथा फर्द बरामदगी में प्रदर्श क 5 डाला गया।'' इसप्रकार इस साक्षी के बयान के अवलोकन से विदित होता है कि फर्द बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण को प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त बनाया गया है।

बचाव पक्ष की ओर से जिरह किये जाने पर साक्षी द्वारा यह कथन किया गया कि–''मैं अपराध संख्या 202/2023 व अपराध राख्या 278/2023 का विवेचक था, अपराध संख्या 202/2023 मेरी थाने पर नियुक्ति के पूर्व तथा अपराध संख्या 278/2023 मेरी मौजूदगी में दर्ज हुआ था। अपराध संख्या 202/2023 का मुकदमा दिनांक 14.08.2023 को व अपराध संख्या 278/2023 दिनांक 28.11.2023 को दर्ज हुआ था। अपराध संख्या 278/2023 व अपराध सख्या 202/2023 के मुकदमें अज्ञात में दर्ज थे। अपराध संख्या 278/2023 की विवेचना मुझे दर्ज होने के तुरन्त बाद मिली थी लेकिन मुझे समय याद नहीं है। अपराध संख्या 202/2023 की विवेचना मुझे दिनाक 09.08.2023 के बाद मिली थी, तिथि मुझे इस समय याद नहीं है फिर कहां कि दिनांक 16.08.2023 को मिली थी। विवेचक होने के नाते दोनों मुकदमें के अतिशीघ्र खुलासे की जिम्मेदारी मेरे उपर थी। अपराध संख्या 202/2023 के वादी मुकदमा का नाम सिद्धार्थ मिश्र व **अपराध संख्या 278/2023 के बादी मुकदमा का नाम दुर्गेश वर्मा है**, सिद्धार्थ मिश्र के यहां से जेवरात व नगदी चोरी हुई थी जबकि दुर्गेश वर्मा के यहां से मोटर साइकिल चोरी हुई थी। **दुर्गेश वर्मा के मोटर साइकिल का नम्बर UP45P 7571 है।** इस मोटर साइकिल को न्यायालय से किसी ने अवमुक्त कराया इसकी जानकारी मुझे नहीं है क्योकि मेरा स्थानांतरण हो गया था। थाने की जी०डी० रात्रि के 00:01 पर खुलती है। रात्रि को दिनांक 30.11.2024 को मैं रात्रि गस्त पर निकला था। रात्रि के गस्त पर में अपनी मोटर साइकिल से निकला था, जी०डी० पर अपनी मोटर साइकिल का अंकन नहीं होता है इसलिए मैंने न तो फर्द बरामदगी में किसी वाहन का अंकन किया है। मेरे साथ थाने से उपनिरीक्षक प्रमोद कुमार खरवार, हे०का० लालजी पाल, का० दीपक सिंह निकले थे। **अहिरौली थाने से बसोहरी पुल करीब आठ कि०मी० दक्षिण दिशा में स्थित है, यह पक्की सड़क है, इस सडक पर लोगों का आना–जाना लगा रहता है लेकिन रात्रि में लोगों का आना–जाना कम ही होता है। हम लोगों ने एक दूसरे की आपस में तलाशी यादव नगर तिराहे पर लिया था। कौन किसकी तलाशी लिया था इस समय मुझे याद नहीं है**। यादव नगर तिराहे से बसोहरी पुल लगभग तीन कि०मी० की दूरी पर स्थित है। यादव नगर तिराहे से बसोहरी पुल पहुंचने तक हम लोग बीच में कहीं रूके नहीं थे। बसोहरी पुल मिझौडा की तरफ पडता है। हम पुलिस वाले दो मोटर साइकिल से और दोनों अगल–बगल चल रहे थे। रात्रि के समय हम लोग अभियुक्तों के काफी करीब पहुंच गये **तब उन लोगों ने हरकत की,**

मुल्जिमान बैठे थे कि खड़े थे मुझे याद नहीं है। कौन किस व्यक्ति को पकड़ा मैं यह नहीं बता सकता। बसोहरी पुल पर हम लोग दो बजे के बाद पहुंचे थे, सही समय याद नहीं है। फर्द बरामदगी मौके पर लिखी गयी थी। फर्द बरामदगी उपनिरीक्षक प्रमोद कुमार खरवार ने लिखी थी। फर्द बरामदगी उपनिरीक्षक प्रमोद कुमार खरवार ने बरामदगी के आधार पर स्वयं लिखा था। फर्द बरामदगी पुल के पास मोटर साइकिल की लाइट की रोशनी में लिखा था। विवेचना किट में कागज कार्बन सब रहता है। **फर्द बरामदगी में मैंने कहा है कि रोहित गुप्ता के आवास पर जाकर तेलियागढ़, थाना– गोसाईगंज, जनपद अयोध्या से अभियुक्त की निशादेही पर अभियुक्त के घर से बरामद किया गया था। चूंकि थाना गोसाईगंज का बार्डर, थाना अहिरौली से मिश्रित है, प्रतिदिन किसी भी काम के लिए हल्का प्रथम जाना होगा तो थाना गोसाईगंज होकर ही जाना होता है। विवेचना के अनुक्रम में किसी अन्य जिले में जाने के लिए अनुमति लेनी पडती है, चूंकि अभियुक्त माल सहित थाना अहिरौली क्षेत्र में पकड़ा गया था. उसकी निशादेही पर चोरी का माल बरामदगी करना था, अभियुक्त का घर थाना अहिरौली, जनपद अम्बेडकरनगर के बार्डर पर ही स्थित है इसलिए उच्चाधिकारी की अनुमति नहीं ली जा सकी।** बरामदगी हेतु जब तक न्यायालय से अनुमति से पी०सी०आर० प्राप्त किया जाता तब तक चोरी की मोटर साइकिल कही अनयत्र छिपायी जा सकती थी। जिस मोटर साइकिल को अभियुक्त के घर से बरामद होना बताया गया है उसका नम्बर UP 45 Z 9195 है। मैंने कथित मोटरसाइकिल के बरामदगी के स्थान रोहित गुप्ता के घर का कोई नजरी नक्शा नहीं बनाया है क्योकि उक्त मोटर साइकिल मेरे मुकदमें से सम्बन्धित नहीं था। फर्द बरामदगी लिखने में लगभग आधा घंटा लगा था। गिरफ्तारी के बाद अभियुक्त को थाने लाया गया था जो भी समय लगा हो मुझे ध्यान नहीं है. हवालात दाखिला के समय अभियुक्तों की तलाशी ली जाती है लेकिन जी०डी० दाखिला में फर्द बरामदगी की प्रति अभियुक्तों के पास मिलने का कोई अकन नहीं है यह सही है। मुल्जिम सूर्यभान के पास से मु० 1860 रूपये बरामद होना बताया गया है। सूर्यभान के पास से बरामद मु० 1860 रूपये में से कितने कितने का नोट किस–किस नोट से बरामद हुआ था यह फर्द बरामदगी में अंकित नहीं है, इसलिए मैं यह स्पष्ट नहीं कर सकता हूँ कि कितने कितने रूपये का नोट मुल्जिमान के पास से अलग–अलग बरामद हुआ था। मुल्जिमान सूर्यभान का घर थाना अहिरौली से करीब 13 कि०मी० पश्चिम दिशा में स्थित है। अभियुक्त सूर्यभान के घर जाने के

लिए थाना गोसाईगंज के मुख्यालय को पार करके जाना पड़ता है। **मैं अभियुक्त सूर्यभान के घर नहीं गया था।** पुल के आस–पास घटना स्थल के अगल बगल कोई खेत नहीं है बल्कि मंदिर है और मंदिर पर भी कोई नहीं था, मंदिर को मैंने नक्शा नजरी में दिखाया नहीं है। जिस समय की घटना है उस समय मिझौड़ा गन्ना मील चालू थी कि नहीं मैं यह नहीं बता सकता। **कोई स्वतन्त्र साक्षी मुझे नहीं मिला था।** फर्द बरामदगी में नोट के रूप में केवल अभियुक्त रोहित गुप्ता को फर्द बरामदगी की प्रति देने का अंकन है जिसे पढकर मैंने हस्ताक्षर बनाया था। यह कहना गलत है कि अभियुक्त सूर्यभान को फर्द बरामदगी की कोई प्रति नहीं दी गयी हो। गिरफ्तारी व बरामदगी स्थल से थाने पहुंचने में करीब आधे घंटे का समय लगा था। घटना स्थल के लिए रवाना होने के पूर्व जो तलाशी हम लोगों ने आपस में एक–दूसरे की लिया था उसमे हम लोगों से और उच्चाधिकारी नहीं था। गिरफ्तारी की सूचना गिरफ्तारी स्थल से ही फोन से दी गयी थी। अभियुक्त रोहित गुप्ता के घर वालों ने मोटर साइकिल को हटाया नहीं था। गिरफ्तारी स्थल से करीब बीस मिनट रोहित गुप्ता के घर जाने में लगा था। मुकदमें अज्ञात में दर्ज किये गये थे, अभियुक्तगण के पास से बरामदगी व निशादेही पर बरामदगी के अधार पर ही नामित किया गया था। अन्य कोई साक्ष्य विवेचना के दौरान अभियुक्तों के अपराध में शामिल होने के संबन्ध में प्राप्त नहीं है।'' इसप्रकार इस साक्षी के बयान के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत प्रकरण से संबंधित मोटर साइकिल अभियुक्तगण के पास से बरामद होने का कथन किया गया है किन्तु स्वंय वादी मुकदमा द्वारा यह कथन किया गया है कि वह अभियुक्तगण को नहीं जानता पहचानता है। यह भी कथन किया गया है कि दरोगा जी रोहित गुप्ता व सूर्यभान की कोई पहचान मुझसे नहीं करवाये थे।. मोटर साइकिल चोरी होने के बाद पुलिस ने क्या–क्या कार्यवाही किया उसे नहीं मालूम। केवल पुलिस ने उसे सूचना दिया था कि आपकी मोटर साइकिल थाने में है। उसकी मोटर साइकिल पुलिस ने कब और कहॉ से बरामद किया था उसे नहीं मालूम। बसोहरी घाट कहॉ पड़ता है वह नहीं जानता हूँ। उसे नहीं मालूम कि पुलिस ने उसकी मोटर साइकिल कहॉ बरामद की थी। इसप्रकार पुलिस ने न तो अभियुक्तगण की शिनाख्त वादी से करायी गयी और न ही बरामद मोटर साइकिल की शिनाख्त ही वादी से करायी गयी मात्र वादी को सूचना दी गयी कि आपकी मोटर साइकिल थाने में है। इस साक्षी द्वारा अपने जिरह में यह कथन किया गया है कि मुल्जिमान बैठे थे कि खड़े थे उसे याद नहीं है। कौन किस व्यक्ति को

पकड़ा वह यह नहीं बता सकता। इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि कोई स्वतन्त्र साक्षी मुझे नहीं मिला था। फर्द बरामदगी स्थल सड़क है जहॉ पर आवागमन हमेशा रहता है यदि इस साक्षी को कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं मिला तो उसने स्वतंत्र साक्षी हेतु क्या प्रयास किया गया इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। फर्द पर किसी स्वतंत्र साक्षी का हस्ताक्षर न होना घटना के प्रति संदेह उत्पन्न करता है।

साक्षी पी.डब्लू.3 हे0 का.राहुल उपाध्याय ने अपने बयान में चिक एफ. आई.आर को प्रदर्श क–6 व कायमी जी.डी.को प्रदर्श क–7 के रूप में साबित किया है। यह साक्षी एक औपचारिक साक्षी है।

अभियोजन द्वारा **साक्षी पी.डब्लू.4 के रूप में उपनिरीक्षक प्रमोद कुमार खरवार** को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी द्वारा अपने बयान में यह कहा गया है कि–''मैं दिनांक 30.11.2023 को थाना अहिरौली जनपद अम्बेडकरनगर में उपनिरीक्षक के पद पर कार्यरत था उस दिन मैं अपने हमराहियों के साथ थाने की नकल रपट संख्या 03 समय 01:05 बजे थाने से रवाना होकर रात्रि गस्त रोकथान जुर्म जरायम करते हुए यादव नगर तिराहे के पास पहुंच कर आपस में बात–चीत कर रहे थे तभी जरिये मुखबिर सूचना मिली कि दो व्यक्ति अज्ञात एक मोटर साइकिल UP45 P 7571 Hero Honda Plus से बसोहरी पुल के उस पार दाहिने तरफ किनारे रूके है, तथा उनके पास चोरी करने का उपकरण प्लास रिच, सलाई रिच व लोहे का सब्बल आदि रखे है, ऐसा लग रहा है कि कही चोरी करने की फिराक में है, मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर हम पुलिस वालें आपस में एक दूसरे की जामा तलाशी लेकर इतमिनाम हो गये कि हम लोगों के पास कोई अवैध वस्तु नहीं है, मुखबिर को साथ लेकर अपने–अपने मोटर साइकिल से उसके बताये हुए रास्ते पर चलकर जैसे ही हम लोग बसोहरी पुल के पास पहुंचे तो मोटर साइकिल की रोशनी में पुल के उस पास खडे दिखायी दिये, मुखबिर द्वारा बताया गया कि यह वहीं व्यक्ति है जो चोरी करने की योजना बना रहा है, हम पुलिस वाले अपनी मोटर साइकिल की रफ्तार तेज कर अचानक उस व्यक्ति के पास पहुंचे तो एक ने कहा कि पुलिस आ गयी भागों कि एक बार दबिशो देकर धेर मारकर बसोहरी पुल से मिझौडा मिल रोड़ पर 10–20 कदम की दूरी पर पकड लिया गया। पकडे हुए व्यक्ति से नाम व पता पूछते हुए जामा तलाशी लिया गया तो एक ने अपने नाम रोहित गुप्ता उर्फ राजन डी० जे० पुत्र रामनाथ गुप्ता निवासी तेलियागढ़,

थाना गोसाईगंज, जनपद अयोध्या बताया। जिसके पहले पैंट की फेट में एक अदद प्लास दाहिने जेब से 2150 रूपया बरामद हुआ, दूसरे ने अपना नाम सूर्यभान उर्फ डब्लू उम्र 20 साल पुत्र राम उजागिर निवासी दारापुर किशुनपुर, थाना गोसाईगंज, जनपद– अयोध्या बताया। जामा तलाशी के दौरान पहने हुए काली रंग के जाकेट के दाहिने जेब से सीसा काटने का औजार तथा एक अदद छोटा रिंच बरामद हुआ, तथा दाहिने जेब से 1860 रूपया बरामद हुआ तथा मोटर साइकिल UP45 P 7571 की डिग्गी की तलाशी से एक अदद सलाई रिंच 250 mm 10 नम्बर तथा 1 अदद सात अंगुल का सरिया जो छेनी की आकार का तथा करीब 1.5 फीट लोहे का सब्बल बरामद हुआ। गाडी का कागज व डी०एल० मागने पर दोनों व्यक्तियों ने कुछ नहीं बताया। कडाई से पूछताछ करने पर दोनों ने बताया कि हम लोग गांव में तथा स्कूल आबादी व भीड–भाड क्षेत्र तथा शादी आदि में मोटर साइकिल व अन्य सामान चोरी कर लेते है तथा चलते फिरते राहगिरों व अंजान व्यक्ति कबाडी फेरी लगाने वाले के हाथ बेच देते है तथा उससे जो पैसा मिलता है, हम लोग आपस में बराबर–बराबर बांटकर ले लेते है तथा उसी पैसे से अपना जीवन यापन करते है व मौज मस्ती करते है। आप लोग हम लोगों को कुछ मत कीजिएगा, हम लोग जहां–जहां चोरी किये है सब बता देंगे। बरामद मोटर साइकिल के बारे में पूछने पर बताया कि साहब यह मोटर साइकिल हम दोनों आदमी अन्नावा बाजार प्यारेपुर रोड मुर्गी फार्म के यहां से दिनांक 25.11.2023 को रात्रि के करीब 08:30 बजे हम दोनों आदमी चोरी किये थे, मौके पर मौजूद उपनिरीक्षक राम सुमेर यादव द्वारा विवेचना किट से मिलान करने पर उक्त मोटर साइकिल थाने की मुकदमा अपराध संख्या 278/2023 से सम्बन्धित पाया गया और चोरी के सम्बन्ध में अन्य बातें बतायी तथा रोहित गुप्ता से पूछने पर बताया कि दिनांक 15.11.2023 को ग्राम निभियहवा जैतपुर से एक मोटर साइकिल से रात में शादी पार्टी के दौरान चोरी किये थे जो मेरे घर पर है, जिसका नम्बर UP 45 Z 9195 है, यह गाडी स्पलेंडर प्लस है। तथा ग्राम रोहन पारा विद्यालय से ताला तोडकर तराजू, बाट, पंखा, समर सेबल पन्प, गैस सेलेंडर गेहू व चावल भी चुराये थे, जिसे आपस में बाट लिये थे तथा अन्य सामान कबाड खरीदने वाले फेरी को दे दिये थे अन्य बातें भी बतायी। विवेचक किट से मिलान करने पर उक्त चोरी का समान थाने की मुकदमा अपराध संख्या 196/2023 से सम्बन्धित पाया गया। मुकदमा अपराध संख्या 277/2023 से सम्बन्धित वाहन की बरामदगी हेतु अभियुक्त रोहित गुप्ता व हमराही लालजी पाल को साथ लेकर रोहित

गुप्ता के घर गया और रोहित गुप्ता द्वारा चोरी की मोटर साइकिल UP 45 Z 9195 बरामद करायी गयी। रात अधिक होने के कारण जनता का कोई गवाह नहीं मिल सकता। अभियुक्तगणों को आधार गिरफ्तारी बताते हुए नियमानुसार उन्हें समय 02:45 बजे मेरे द्वारा मौके पर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी मेमों व फर्द बरामदगी मेरे द्वारा मौके पर टार्च व मोटर साइकिल की रोशनी में तैयार की गयी, फर्द पर हम पुलिस कर्मीयों के साथ–साथ अभियुक्त ने भी अपने हस्ताक्षर बनाये, फर्द की एक प्रति रोहित गुप्ता को दी गयी। शामित पत्रावली फर्द बरामदगी पर साक्षी ने अपने लेख व हस्ताक्षर की पहचान किया जिस पर प्रदर्श क 5 पूर्व में डाला गया है, विवेचक ने मेरा बयान लिया था।''

जिरह में इस साक्षी द्वारा यह कथन किया गया कि–''मैं अपराध संख्या–278/2023 का विवेचक नहीं हूँ। आज न्यायालय के समक्ष माल मुकदमा के तौर पर कोई मोटर साइकिल,लोहे का सब्बल या कोई नोट प्रस्तुत नहीं है।........हम लोग थाने से कितने बजे निकले थे इस समय याद नहीं है।..........नवम्बर व दिसम्बर के महीने में उसी रास्ते पर गन्ने के टालियों का आवागमन बना रहता है। न वक्त होने के कारण मौके पर कोई प्राइवेट व्यक्ति नहीं मिला इसलिए फर्द पर किसी स्वतंत्र साक्षी का हस्ताक्षर नहीं है। ....मैं दिनांक 30.11.2023 को रोत्रि में रोहित गुप्ता के घर गया था। मैं रोहित गुप्ता के घर कितने बजे गया था समय याद नहीं है। रोहित गुप्ता के घर के किसी भी सदस्य या मोहल्ले के किसी भी सदस्य का मैंने फर्द बरामदगी में हस्ताक्षर नहीं कराया है।''इसप्रकार न्यायालय में गवाही के समय इस साक्षी के समक्ष माल मुकदमाती न होने के कारण फर्द साबित नहीं है। इस साक्षी ने स्वंय कहा है कि फर्द पर किसी स्वतंत्र साक्षी का हस्ताक्षर नहीं है। रोहित गुप्ता के घर से माल बरामद होने पर भी रोहित गुप्ता के घर के किसी भी सदस्य या मोहल्ले के किसी भी सदस्य का फर्द बरामदगी में हस्ताक्षर नहीं कराया गया है। इसप्रकार फर्द साबित नहीं है। फर्द बरामदगी के आधार पर ही अभियुक्तगण को प्रकरण में अभियुक्त बनाया गया है परन्तु फर्द साबित नहीं है।

इसप्रकार अभियोजन द्वारा परीक्षित कराये गये साक्षियों के साक्ष्य से यह तथ्य उभर कर सामने आया है कि अभियुक्तगण को वादी मुकदमा की मोटर साइकिल को चोरी करते हुए किसी ने नहीं देखा है। अभियुक्तगण के पास से वादी की मोटर साइकिल बरामद होना कहा गया है परन्तु स्वंय वादी द्वारा यह कथन किया गया है कि उससे अभियुक्तगण की शिनाख्त नहीं करायी गयी थी और न ही

मोटर साइकिल की ही शिनाख्त करायी गयी थी मात्र यह बताया गया था कि आपकी मोटर साइकिल थाने पर है। मोटर साइकिल पुलिस ने कहॉ से और किसके पास से बरामद किया इस संबंध में वादी को कोई जानकारी नहीं है। फर्द पर किसी स्वतंत्र साक्षी के हस्ताक्षर नहीं है। फर्द के जितने भी साक्षी है वे पुलिस के साक्षी है तथा उनके बयानों में परस्पर घोर विरोधाभाष है। अभियोजन द्वारा कोई ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो सके कि अभियुक्तगण ने ही वादी की मोटर साइकिल चुराया और उक्त चोरी की मोटर साइकिल अभियुक्तगण के पास से बरामद हुई। अभियोजन द्वारा कोई ऐसा भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो सके कि अभियुक्तगण अभ्यासतः चुराई हुई सम्पत्ति का व्यापार करते हो।

उपरोक्त समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुॅचती है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण **सूर्यभान उर्फ डब्लू व रोहित गुप्ता उर्फ राजन डीजे** के विरूद्ध लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा–379,411,413 भा.द.सं. को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण **सूर्यभान उर्फ डब्लू व रोहित गुप्ता उर्फ राजन डीजे धारा–379,411,413 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दोषमुक्त** किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण **सूर्यभान उर्फ डब्लू व रोहित गुप्ता उर्फ राजन डीजे** को धारा–**379,411,413 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दोषमुक्त** किया जाता है।

अभियुक्त सूर्यभान उर्फ डब्लू पूर्व से जमानत पर है। अतः उसके व्यक्तिगत बंधपत्र निरस्त किये जाते है तथा उसके प्रतिभूगण को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्त रोहित गुप्ता उर्फ राजन डीजे न्यायिक अभिरक्षा में जेल में निरूद्ध है। अतः उसकी रिहाई आदेश अविलम्ब जेल प्रेषित किया जाये।

अभियुक्तगण उपरोक्त माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने के लिए धारा–437(2)द.प्र.सं. के तहत मु0 20,000/–,20,000/– का व्यक्तिगत बंधपत्र व इसी धनराशि की दो–दो प्रतिभू दाखिल करे।

(राम विलास सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश,प्रथम
अम्बेडकरनगर
जे0ओ0नं0–यू.पी. 6067

दिनांक–30.06.2026

C.N.R.NO- UPAN010007532024
Sessions Case/68/2024

यह निर्णय, आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर सुनाया गया ।

दिनांकः—30.06.2026

(राम विलास सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश,प्रथम
अम्बेडकरनगर
जे0ओ0नं0—यू.पी. 6067

C.N.R.NO- UPAN010007532024
Sessions Case/68/2024